न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/640

पृथ्वीलाल आत्मज रघुनाथ (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. मांगीलाल
2. पप्पू पिसरान स्व0 पृथ्वीलाल जी जाति पासवान निवासी पायका स्कूल के पीछे सूरजपोल दरवाजे के पास श्रीपुरा कोटा जिला कोटा ।
3. सुगना
4. मधु
5. रूकमणी
6. सीताबाई
7. शांतिबाई पुत्रियॉ स्व0 पृथ्वीलाल जी जाति पासवान निवासीगण ग्राम मरमोडी तहिसील कनवास जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. मोहन लाल आत्मज श्री करणा जाति पासवान निवासी ए–210 अन्त स्टोन इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा ।
2. गोपाल आत्मज श्री करणा जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. पुष्पाबाई बेवा स्व0 गोपाल जी ।
   2/2. भंवर आत्मज स्व0 गोपाल जी ।
   2/3. राजू आत्मज स्व0 गोपाल जी ।
   2/4. संजू आत्मज स्व0 गोपाल जी जाति पासवान निवासीगण रोड नं0 05 गोबरिया बावडी कोटा जिला कोटा ।
3. मुरली आत्मज करणा जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. मोहनी बाई बेवा मुरली जी ।
   3/2. नन्दसिंह आत्मज स्व0 मुरली जी ।
   3/3. विक्रम आत्म्ज स्व0 मुरली जी ।
   3/4. सोनू उर्फ सुरेन्द्र आत्मज स्व0 मुरली जी जाति पासवान निवासीगण ग्राम परल्या तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. गुड्डी बाई पत्नी स्व0 सोहनलाल जी ।
5. जीतू आत्मज स्व0 सोहनलाल जी ।
6. टीकम आत्मज श्री सोहनलाल जी ।
7. रघु आत्मज स्व0 सोहन लाल जी नाबालिंग जरिये वली माता गुड्डी बाई पत्नी स्व0 सोहनलाल जी जाति पासवान निवासी मकान नं. 2–छ–6 विज्ञान नगर कोटा जिला कोटा।
8. रामनाथी पत्नी स्व0 नाथूलाल जी ।
9. भंवर सिंह आत्मज स्व0 कल्याण जी ।
10. प्रहलाद आत्मज स्व0 कल्याण जी ।

11. पप्पू आत्मज स्व0 कल्याण जी जाति पासवान निवासीगण साजीदेहडा कोटा जिला कोटा।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
13. श्रीमती कलाबाई पत्नी श्री भवानी शंकर जी जाति धाकड़ निवासी ग्राम लाडपुर वाया कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 23.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 व 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम शंकरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 172 रकबा 1.83 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी कम 1 से 3 व प्रतिवादी कम 4, 5 व 6 के पति एवं पिता स्व0 सोहनलाल एवं स्व0 श्रीमती घींसी बाई के खाते में दर्ज है । उक्त भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि को पृथक से अपने नाम खातेदारी में दर्ज करावे तथा पृथक लगान कायम करावे ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादी को 1/3 हिस्से का पृथक से खातेदार घोषित किया जाकर वादी के हिस्से की भूमि पर वादी को कब्जा दिलाया जावे तथा उक्तानुसार पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.07.2011 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य उनके हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिकी दिनांक 15.07.2011 के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.05.2015 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिकी पारित करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिकी दिनांक 07.05.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्रीमती कला बाई ने न्यायालय हाजा में धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 10.11.2015 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2015 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक 19.06.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी कम 13 के खाते 1.37 हैक्टर, प्रतिवारदी कम 3 के वारिसान के खाते 0.13 हैक्टर प्रतिवादी कम 08 से 11 के खाते 0.32 हैक्टर तथा वादी के वारिसान के खाते 0.32 हैक्टर आराजी पृथक–पृथक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 19.06.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुने बिना तथा किसी प्रकार का नोटिस दिये बिना स्वयं ने स्वेच्छा से लोक अदालत 'न्याय आपके द्वार' कार्यकम के अन्तर्गत पत्रावली को अटल सेवा केन्द्र बनियानी पर ले जाकर उसका निर्णय पारित कर दिया । स्व0 करणा के चार पुत्र मोहन, गोपाल, स्व0 सोहन तथा मुरली थे । करणा के 1/3 हिस्से की भूमि में उसके चारों पुत्रों का 1/4 – 1/4 हिस्सा था जिसमें से रेस्पोडेन्ट कला बाई को स्वयं मोहन तथा स्व0 गोपाल व स0 सोहन के वारिसान ने करणा की उक्त 1/3 हिस्से की भूमि में से अपना हिस्सा विकय किया था तथा मुरली के द्वारा उसका हिस्सा विकय किया गया । इस प्रकार कलाबाई को करणा के 1/3 हिस्सा भूमि में से केवल मात्र 3/4 हिस्सा भूमि ही विकय की गई । खसरा नम्बर 172 की सम्पूर्ण 1.83 हैक्टर भूमि में करणा अथवा उसके वारिसान का जब 3/4 हिस्सा ही नहीं था तो उनके द्वारा सम्पूर्ण भूमि में से 3/4 भूमि कैसे विकय की जा सकती थी । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना नहीं की है । लोक अदालत में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई विधिक राजीनामा भी नहीं हुआ है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 19.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि अपीलान्ट को [illegible]
गई । अपीलान्ट [illegible]

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

10. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रघुनाथ के खाते की थी । रघुनाथ जी के तीन पुत्र श्री नाथूलाल, करणा एवं पृथ्वीलाल थे । रघुनाथ के स्वर्गवास के पश्चात् वादग्रस्त आराजी उनके तीनों पुत्रों के खाते में दर्ज कर दी गई किन्तु बाद में करणा के वारिसान द्वारा नाथूलाल एवं पृथ्वीलाल को 30 वर्षों से लापता होना बताते हुए नामान्तरकरण संख्या 105 तस्दीक करवाया और वादग्रस्त आराजी से पृथ्वीलाल व नाथूलाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटा दिया गया और उक्त भूमि केवल करणा के वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई । उक्त तथ्य की जानकारी होने पर वादी पृथ्वीलाल द्वारा दिनांक 19.03.2009 को अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत किया था जिसे दिनांक 15.07.2011 को डिक्री करते हुए पृथ्वीलाल का 1/3 हिस्सा, करणा के वारिसान का 1/3 हिस्सा एंव नाथूलाल के वारिसान का 1/3 हिस्सा घोषित करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में प्रथम अपील पेश की एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील पेश की गई । दोनों ही न्यायालयों ने अपील खारिज कर दी । उसके पश्चात् दिनांक 07.05.2015 को विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई । उक्त वाद के विचाराधीन रहते हुए करणा के पुत्र मोहन स्वयं तथा मृतक गोपाल एंव सोहन के वारिसान ने उक्त वादग्रस्त आराजी में स्वयं का 3/4 हिस्सा बताते हुए रेस्पोडेन्ट कला बाई पत्नी भवानी शंकर को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 07.06.2012 को बेचान कर दिया जबकि उक्त तिथि को वाद में डिक्री जारी हो चुकी थी एवं करणा के वारिसान का केवल 1/3 हिस्सा घोषित किया गया था। इस प्रकार दौराने वाद भूमि का विक्रय कर दिया गया तो धारा 52 टी0 पी0 एक्ट के विरूद्ध था । श्रीमती कला बाई द्वारा अंतिम डिक्री के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.11.2015 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर निर्देशित किया कि अंतिम डिक्री में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए । प्राथमिक डिक्री को यथावत रखा था । प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ कोई अपील पेश नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कला बाई को 1.37 हैक्टर भूमि प्रदान कर दी गई एवं अपीलान्ट को 0.32 हैक्टर भूमि प्रदान की गई है । पत्रावली का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया गया है । पत्रावली को 'न्याय आपके द्वार' के अन्तर्गत अटल सेवा केन्द्र बनियानी में रखते हुए निर्णित किया है जिसकी सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । करणा ने 1/3 हिस्से में से 3/4 हिस्से का विक्रय किया गया है । ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण आराजी में कलाबाई का 3/4 हिस्सा नहीं हो सकता । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2015 (3) पेज 2567, डीएनजे 2013 (एससी) पेज 561, आरएलडब्ल्यू 2013 (3) पेज 2590 उद्धरत की ।

12. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 07.05.2015 को पारित अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील होने पर इस न्यायालय के द्वारा कला बाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड होने के उपरान्त प्रकरण को लोक अदालत में रखा गया । कला बाई ने 3/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 बहाल रखा जावे ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

14. अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया है । इसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.07.2011 से डिक्री कर पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई । इस निर्णय के खिलाफ प्रथम अपील पेश होने पर इस न्यायालय के द्वारा अपील अपीलान्ट अपने निर्णय दिनांक 23.12.2011 से खारिज की गई । इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री दिनांक 07.05.2015 को पारित की गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विभाजन की अंतिम डिक्री के खिलाफ श्रीमती कला बाई ने धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ इस न्यायालय में अपील पेश की और इस न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.11.2015 के द्वारा उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 07.05.2015 को निरस्त कर प्रकरण सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया । इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 10.11.2015 के निर्णय से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री को निरस्त किया गया है ।

15. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.07.2011 जिसमें कि वादग्रस्त आराजी में विद्यमान खातेदारों का 1/3 हिस्सा तथा शेष 2/3 हिस्से में वादी को 1/3 का तथा प्रतिवादीगण कम 08 लगायत 11 का 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है । इसको इस न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.12.2011 से यथावत रखा गया है । न्यायालय हाजा द्वारा पारित इस निर्णय को किसी भी अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हो ऐसा कोई दस्तावेज न तो पत्रावली में पेश किया गया है और न ही रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने ऐसा कोई कथन दौराने बहस किया है । प्रारम्भिक डिक्री से पक्षकारान के अधिकार एवं हिस्से तय होते हैं । अंतिम डिक्री में प्रारम्भिक डिक्री में तय किये गये हिस्से के अनुसार विभाजन किया जाता है । अंतिम डिक्री से पक्षकारों के हिस्से तय नहीं किये जाते हैं । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री के

अपील पेश होने पर प्रकरण जो रिमाण्ड किया गया था उसमें अपीलान्ट श्रीमती कला बाई की सुनवाई अंतिम डिक्री के परिप्रेक्ष्य में ही की जानी थी । श्रीमती कला बाई ने करणा के वारिसों के 3/4 हिस्सा क्रय किया है तो उनका विक्रय पत्र करणा के वारिसों के 1/3 हिस्से के 3/4 हिस्से के लिए विधिक होगा और उससे अधिक के लिए अवैध होगा । तद्नुसार कला बाई का वादग्रस्त आराजी में हिस्सा 1/3 का 3/4 होगा न कि कुल आराजी का 3/4 । इस रिमाण्ड निर्देश से पक्षकारान के प्रारम्भिक डिक्री में तय किये गये हिस्से को कम अथवा अधिक नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ ने इस न्यायालय से प्रकरण रिमाण्ड होने के उपरान्त दिनांक 16.12.2015 को दर्ज किया और पत्रावली तारीख पेशियों में चलती रही और इसे दिनांक 10.06.2017 को 19.06.2017 तारीख दिया जाना अंकित है और 15.06.2017 को पत्रावली को लोक अदालत में रखा जाकर दावा वादी स्वीकार किया जाना और विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाना अंकित किया गया है । इसके उपरान्त पत्रावली में दिनांक 19.06.2017 को एक आदेश लिखा गया है जिसके अनुसार पत्रावली न्याय आपके द्वार के तहत अटल सेवा केन्द्र बनियानी लोक अदालत में पेश किया जाना अंकित किया गया है ।

16. लोक अदालत में पक्षकारान की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है । और इसमें नये सिरे से पक्षकारन के हिस्से तय कर दिये गये हैं जो विधि – विरूद्ध एंव आपत्ति जनक हैं । अधीनस्थ न्यायालय को प्रारम्भिक डिक्री में तय हिस्से को परविर्तन करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम डिक्री जारी करनी होती है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है जारी की गई प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में पैरा संख्या 15/एन में किये गये विवेचन को ध्यान में रखते हुए राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर बंटवारा प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 10.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

18. निर्णय आज दिनांक 23.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा